उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-2757/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(31)-2008

लखनऊ::दिनांक:: 29 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2283/ग्यारह -9(81)/91-उ0प्र0अध्या0-21-99-आदेश-99 दिनांक 31 अक्टूबर, 1999 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निर्देश देते है कि दिनांक 30 सितम्बर, 2008 से, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण प्रत्येक के सम्मुख उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट दर पर किये जायेंगे:-

अनुसूची

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर
1	2	
1.	केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित कच्चा तेल	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
2.	मशीन और मशीन के पुर्जे जिनकी कीमत दस लाख रूपये या उससे अधिक हो	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
3.	प्राकृतिक गैस	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
4.	बिना लेवी की चीनी	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
5.	सिगरेट के रूप में तम्बाकू	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
6.	लिखने, मुद्रण या पैकिंग में उपयोग का कागज, जिसमें समाचार पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
7.	तम्बाकूयुक्त पान मसाला (गुटका)	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
8.	सीमेन्ट	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
9.	कोयला	माल के मूल्य

		का दो प्रतिशत
10.	भारत के बाहर से आयातित सभी प्रकार के और सभी वृक्षों के, चाहे वे किसी भी प्रजाति के हों, काष्ठ और इमारती लकड़ी, जिसके अन्तर्गत बल्लियां और बॉस भी हैं, चाहे वे उगाई जा रही हो या काट दी गयी हो या चीरी गई हों	माल के मूल्य का चार प्रतिशत
11.	हाई स्पीड डीजल, लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, अल्ट्रा लो सल्फर हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल आयल, सुपर लाइट डीजल आयल, सुपीरियर कैरोसिन आयल, फर्नेस आयल, रैजिडुअल फ्यूअल आयल, लो सल्फर हैवी स्टाक्स, हैवी पैट्रोलियम स्टाक्स और इसके समस्त भेद, किन्तु उनमें जन वितरण प्रणाली का कैरोसिन आयल सम्मिलित नहीं है	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
12.	क्लिंकर	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत
13.	ट्रैक्टर को छोड़कर सभी प्रकार के मोटर व्हैकिल्स एवं इनके चेसिस	माल के मूल्य का एक प्रतिशत
14.	केन्द्रीय विक्रय–कर अधिनियम, 1956 की धारा 14 में यथापरिभाषित लोहा और इस्पात	माल के मूल्य का एक प्रतिशत
15.	एल्यूमिनियम एवं इसके उत्पाद जिसमें एल्यूमिनियम के बर्तन सम्मिलित नहीं हैं	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
16.	सभी प्रकार के केबिल्स	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
17.	लैपटाप, कम्प्यूटर सिस्टम और पेरीफेरल्स, टी0वी0 जिसमें एल0सी0डी0 टी0वी0 सम्मिलित हैं	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
18.	टायर एवं ट्यूब्स जिसमें साइकिल, साइकिल रिक्शा एवं पशुचालित वाहन के टायर एवं ट्यूब्स सम्मिलित नहीं हैं	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
19.	मार्बल पत्थर एवं इनके टाइल्स	माल के मूल्य का दो प्रतिशत
20.	रेफ्रीजरेटर, एअर कन्डीशनर एवं एअर कन्डिशनिंग प्लांट्स	माल के मूल्य का पॉच प्रतिशत

आज्ञा से,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।